माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–18.12.2025 (गुरूवार) को ऑडिटोरियम, ज्ञान भवन, गाँधी मैदान, पटना में भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला में अपर समाहर्त्ताओं (राजस्व), भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं एवं अंचलाधिकारियों की राज्यस्तरीय बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति–यथापंजी में संधारित

माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय अपर समाहर्त्ताओं (राजस्व)/भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं/अंचलाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें प्रधान सचिव, सचिव एवं विभाग के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

सर्वप्रथम बैठक में माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। दीप प्रज्जवलन एवं राष्ट्रगान के साथ ही बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(i) इस बैठक में सचिव द्वारा अपने स्वागत संबोधन में राजस्व विभाग की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। जिसमें ऑनलाइन सेवाओं की शत–प्रतिशत शुरूआत की बात कही गई लगभग 25 लाख रजिस्टर्ड User होने का भी उल्लेख किया गया। उन्होनें समाज के नीचले पायदान पर खड़े जनसाधारण को भी राजस्व सेवा निर्बाध रूप से मिले, ऐसी व्यवस्था बनाने की बात की।

सभी भूमि संबंधी सेवाएँ पूर्णतः ऑनलाइन एवं समय–सीमा के भीतर निष्पादित की जाय। फर्जी दस्तावेजों पर आधारित प्रत्येक आवेदन/आपत्ति को प्रारम्भिक स्तर पर ही चिन्हित कर विधिक कार्रवाई की जाय। लोक भूमि के मामलों में अचंलाधिकारी "Custodian of Governement Land" की भूमिका में सक्रिय रहते हुए सख्त निर्णय लें। वरिष्ठ अधिकारियों को Real Time मॉनिटरिंग एवं समीक्षा सुनिश्चित करने का निदेश दिया। जन शिकायतों का समाधान चरणबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से करने का भी निदेश दिया।

(ii) बैठक में राज्य के प्रत्येक जिलों से कुल 38 अपर समाहर्त्ताओं में से 35 उपस्थित हुए। रोहतास, गयाजी एवं शिवहर के अपर समाहर्त्ता बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित थें।

इसी तरह राज्य के कुल 101 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता में से 93 उपस्थित हुए। बनमंखी, जयनगर, महनार, बिक्रमगंज, डेहरी ऑन सोन, रजौली, मंझौल एवं बखरी के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित थें।

इसी प्रकार राज्य के कुल 537 अंचलाधिकारियों में 529 उपस्थित हुए। रामपुर (कैमूर), मोकामा, मनेर (पटना), डेहरी, नौहट्टा, रोहतास (रोहतास), बेनीपट्टी (दरभंगा) एवं अरवल के अंचलाधिकारी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये गये। अनुपस्थित पदाधिकारी से कारणपृच्छा करने का निदेश दिया गया।

(iii) बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि कूट, फर्जी अथवा धोखाधड़ीपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तुत आवेदन, आपत्ति या दावा पर आपराधिक अधिनियम के तहत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता की निगरानी में FIR दर्ज हो। FIR की Quality परिपूर्ण हो ताकि दोषी को सजा मिल सके।

भारतीय दण्ड संहिता/भारतीय न्याय संहिता, पंजीकरण अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम तथा सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन तत्काल निरस्त किये जाए। वैसे लोगों को चिन्हित कर भूमि लेन–देन पर रोक लगाई जाए। धोखाधड़ी विभाग के सभी अच्छे कार्यो को शून्य कर रही है।

अनैतिक कार्य प्रणाली की जाँच मुख्यालय स्तर पर की जाएगी। इसके लिए उड़नदस्ता का प्रयोग किया जाएगा। सभी अंचल में शिकायत पेटी रखे जायेंगें। जिसमें राजस्व कर्मचारी से संबंधित शिकायत आमंत्रित किये जायेंगें। यह शिकायत पेटी सिर्फ अंचलाधिकरी देखेगें। इसी प्रकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय में भी शिकायत पेटी होगें जिसमें अंचलाधिकारी से संबंधित शिकायत आमंत्रित किये जायेंगें। आम लोगों के Feedback को ध्यान में रखकर कार्रवाई निश्चित होगा।

माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री ने 100 दिनों की कार्य योजना को ध्यान में रखकर बिहार को बेहतर बनाने का संकल्प दोहराया। अंचल से मुख्यालय तक बेहतर संवाद स्थापित करने का भी निदेश दिया गया। भूमि सुधार से संबंधित सेवाओं का पारदर्शी, न्यायपूर्ण एवं संवेदनशील निपटारें का संकल्प दोहराया गया। सभी अंचल में जनलोक सुविधा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि सुधार के सफल कार्यान्वयन से ही हम केन्द्रीय योजनाओं का भरपूर लाभ उठा सकते है।

01 से 14 जनवरी 2026 तक सभी अंचलों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय। उसी के आधार पर उनकी समीक्षा हो सके। अच्छे कार्य करने वाले अंचल को चिन्हित कर उन्हें प्रशस्ति पत्र दिये जायेगें।

बैठक के द्वितीय सत्र में निम्न विषयों की समीक्षा की गई।

(1) दाखिल–खारिज :–पी0पी0टी0 के माध्यम से Mutation Defect Check Application की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि बारसोई (कटिहार), पूर्णिया ईस्ट (पूर्णिया), उदाकिशुनगंज (मधेपुरा), आरा (भोजपुर) एवं रानीगंज (अररिया) द्वारा काफी संख्या में आवेदन Pending रखा गया एवं बाद में गलत कारण से Reject कर दिया गया।

इसी प्रकार Mutation Application की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि शाहपुर (भोजपुर), फारबिसगंज (अररिया), गौरौल (वैशाली) एवं दीदारगंज (पटना) ने इसके निष्पादन में 90 दिनों से अधिक Average Time लिया, जबकि पुरे राज्य में Mutation के निष्पादन का Average Time 44 दिन है।

उक्त दोनों मामले यथा–Defect Check एवं Dispose Mutation में 10 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारियों से कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया, यदि कारणपृच्छा संतोषजनक नहीं हो तो विभागीय कार्रवाई संचालित की जाय।

समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव महोदय द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को यह बताया गया की हर जिलें में Computerised Land Bank बनाना है। इसके लिए CS एवं RS में दर्ज सभी सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करना है। यदि गलत जमाबंदी कायम हो तो जमाबंदी रद्दीकरण की प्रक्रिया चलाई जाए। तत्पश्चात सरकारी भूमि का भौतिक सत्यापन की जाए। सरकारी भूमि का स्पष्ट विवरण अन्य विकासोन्मुखी योजनओं, उद्योगों के लिए जरूरी है।

(2) **परिमार्जन प्लस** :–यह वह प्रक्रिया है जिसके सही निष्पादन से राजस्व के सभी सेवाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह जमाबंदी, म्यूटेशन, मापी, लगान एवं भूमि सम्परिवर्तन जैसे किसी भी सेवा के लिए मुख्य आधार है।

यदि परिमार्जन का शुद्धता से पालन किया जाय एवं समय–सीमा (15/35/75 कार्य दिवस) में निष्पादन किया जाय, तो अंचल के रैंकिंग में भी सुधार होगा।

समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव द्वारा सभी राजस्व कर्मचारी, अचंलाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को अपना–अपना Gmail Account खोलकर विभाग को सूचित करने का निदेश दिया गया। उन्होंने राजस्व कार्यों में AI के प्रयोग पर बल दिया।

पी0पी0टी0 के माध्यम से परिमार्जन प्लस समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बोधगया, औरंगाबाद, पूर्णिया पूर्वी, बगहा–2, फारबिसगंज, सासाराम, रानीगंज, अररिया द्वारा काफी संख्या में आवेदन पेंडिंग रखा गया है। परिमार्जन प्लस में 10 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारियों से कारणपृच्छा करने का आदेश दिया गया।

(3) **ई–मापी** :–प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि मापी की प्रक्रिया केवल Online होगी आवेदक को रिपोर्ट देने के लिए अंचल कार्यालय बुलाने की जरूरत नहीं है। अमीन मापी के पश्चात Coordinate Photo (Geotagging) पोर्टल पर Upload करेंगें।

सभी अंचल में CSC के माध्यम से आवेदन होगा। इसके लिए अंचलाधिकारी CSC को जगह उपलब्ध करायेंगें।

ई–मापी में 10 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों यथा–बेनीपट्टी, लखनौर, मधेपुर (मधुबनी), गढ़हनी (भोजपुर), मदनगंज (जहानाबाद), सिकटी (अररिया), बाराचट्टी (गयाजी), सोनो (जमुई) एवं शम्भू अक्खा कुरहा (बेगूसराय) से कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया।, यदि कारणपृच्छा संतोषजनक नहीं हो तो विभागीय कार्रवाई संचालित करने का निदेश दिया गया।

(4) **अभियान बसेरा :–** यह योजना बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। पी0पी0टी0 प्रस्तुतीकरण के समीक्षा के क्रम में पाटलीपुत्र, पटना सिटी, पटना सदर, फतुहा (पटना), बेतिया (प0 चम्पारण), कटिहार (कटिहार), जगदीशपुर सदर (भागलपुर), रक्सौल (पूर्वी चम्पारण), इत्यादि अंचलों में सर्वेक्षित लाभुकों को भूमि आवंटन का प्रतिशत अत्यंत न्यून है। इस मामलें में गंभीर चिन्ता व्यक्त की गई। साथ ही 10 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारियो से कारणपृच्छा करने का निदेश दिया गया।

सर्वे के बाद भी Not Fit For Allotment के द्वारा अयोग्य घोषित करने पर गहरा रोष व्यक्त किया गया । पटनासिटी एवं जगदीशपुर (आरा) में गलत सर्वे एवं 98 प्रतिशत Rejection मामलें में संवदेनहीनता पर गहरा रोष व्यक्त किया गया । माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री महोदय ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया कि पटनासिटी अंचल में व्याप्त अनियमितता की जॉच का रिपोर्ट विभाग को भेजे।

(5) **सरकारी भूमि का सत्यापन :–** माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री द्वारा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पटना सदर, पटना सिटी (पटना), सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा), शाहपुर (भोजपुर), बोधगया, बथानी, टनकपा (गयाजी), नौहट्टा (सहरसा), पोठिया (किशनगंज) एवं बसंतपुर (सुपौल)

का सरकारी भूमि का सत्यापन का कार्य न्यूनतम रहा है। इस मामलें में अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। साथ ही Pendancy को खत्म करने की जिम्मेवारी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता की होगी।

(6) **राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) :–** इस मामलें में आवेदन या अन्य प्रक्रिया ऑफलाइन पूर्णतः प्रतिबंधित है। तय समय सीमा में सुनवाई और आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में यह बताया गया कि सामान्य त्रुटि के मामलों में एक दिवस की सुनवाई के बाद आदेश पारित किया जाय एवं अनावश्यक Remand back न की जाय।

बैठक के अन्त में राजस्व परिवार को पाँच अभिशापों से मुक्ति, पाँच सामाजिक वरदानों से युक्त एवं पाँच सामाजिक क्षमताओं से पूर्ण व्यवस्था की शपथ दिलाई गई।

माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री महोदय के सामाजिक–नैतिक दृष्टिकोण के अनुरूप यह आवश्यक है कि राजस्व प्रशासन अपराध मुक्त, दबाव मुक्त, संवेदनशील एवं न्यायोन्मुख बने, जिससे भूमि अधिकार केवल विधि सम्मत, पात्र एवं जागरूक नागरिकों के नाम पर ही सुरक्षित रह सकें।

अन्त में सभी पदाधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निदेश दिये गये, ताकि भूमि सुधार की प्रक्रिया जन विश्वास, न्याय एवं सुशासन का प्रभावी माध्यम बन सकें।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

(जय सिंह) 01/26

सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–10/सम0 (अंचल अधिकारी बैठक)–41/2025— 100 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक – 16/01/26

E-mail

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार/अपर समाहर्त्ता, बिहार/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार/सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/01/26
(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (अंचल अधिकारी बैठक)–41/2025— 100 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक –16/01/26

प्रतिलिपि–निदेशक, तीनों निदेशालय/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर/उप निदेशक–सह–जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/01/26
(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (अंचल अधिकारी बैठक)–41/2025— 100 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक –16/01/26

प्रतिलिपि–माननीय उप मुख्यमंत्री–सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी सचिव के आप्त सचिव/कोषांग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/01/26
(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।